

तारीख

हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

पृष्ठ
अंक
हुकम

पत्रा. पेश।
वादी द्वारा धारा 188 RT Act
के तहत प्रतिवादी 1-2 के
विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा मांगी है
कि वह इनकी आराजी पर
जबरन कब्जा न करे।

वादी द्वारा जमाबंदी नकल पेश
की गई जिसमें वादी 1-10 व
प्रतिवादी-3 का हिस्सा दर्ज है।
प्रतिवादी 1 व 2 का इस आराजी
पर ^{कोई} हिस्सा दर्ज नहीं है।

प्रतिवादी द्वारा कथन किया गया
कि पत्र नं. 1013/1214 व
973/1214 के धारदार को भी
Party बनाया जाए क्योंकि इनकी
आराजी का शस्ता वादी की
आराजी से होकर गुजरता है
परन्तु वादी का अनुरोध इनके
खिलाफ नहीं है 9/12/22 को
यह सर्चिंग पत्र अरिज कर
दिया गया था।

प्रतिवादी 1-2 द्वारा इस
दोष को ठुकराया नहीं गया
है कि वादग्रस्त आराजी के
धारदार वादीगण 1-10 हैं।

Che
उपस्थित अधिकारी

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

प्रति: 3 हैं अतः प्रतिवादी 1 एवं
2 का इसमें कोई हक नहीं
बनता। अतः बंद इस पर कब्जा
की नहीं कर सकते।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
व गवाहों के बयान को देखते
इस वादी का वाद स्वीकार
किया जाता है।

प्रति 1 व 2 वादी की आराजी
खाला संख्या 10 ग्राम घाटोली
तहसील रामगंजमण्डी के खसरा
नं. 1046, 447, 453, 747,
766, 906 कुल 475 $\frac{5}{10}$
प्रति पर जबरन कब्जा

व मदाखलत मजामुमन न करें
व किसी एजेन्ट से करवाएँ।

निर्णय आज दिनांक

को सुनाया गया।

पत्रावली फंसल सुमार होकर
दाखिल दफ्तर हो

Che

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी